आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 17.10.2022 से 22.10.2022)

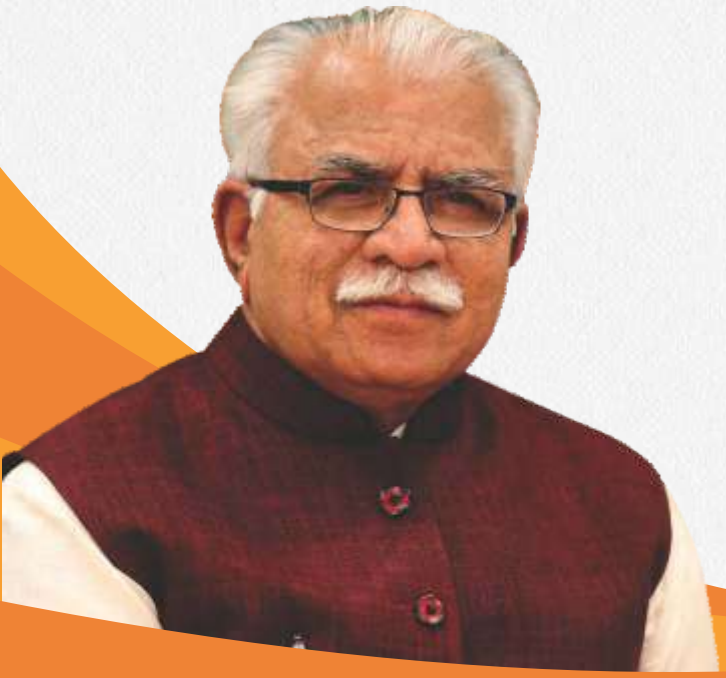

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी

(दिनांक 17.10.2022)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी करने पर उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री जी ने सोमवार को इस कार्यक्रम को लाइव देखा। कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश के करोड़ों किसानों को त्योहारी अवसर पर किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करके तोहफा दिया है। उन्होनें कहा कि इस योजना से हरियाणा के करीब 20 लाख किसानों को लाभ मिला है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों की आय को दोगुनी करना उनकी सरकार का लक्ष्य है। केंद्र सरकार और हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पिछली 11 किस्तों में हरियाणा के किसानों को 3754.67 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी द्वारा देशभर में 600 से ज्यादा पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरूआत करने पर उनका आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र किसानों की कृषि उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जरुरतों को पूरा करेंगे और कृषि इनपुट भी प्रदान करेंगे। इन केंद्रों के माध्यम से मिट्टी की टेस्टिंग व हर प्रकार की जानकारी जो भी किसान को चाहिए, वह एक जगह मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को आधुनिक और ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक बनाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा हैं, पीएम किसान समृद्धि केंद्र इसी का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आज देश के हर हिस्से का किसान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कृषक हितैषी नीतियों से लाभान्वित हो रहा है।

भारतीय राजदूतों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात

(दिनांक 18.10.2022)

प्रभाव : आज मुख्यमंत्री जी ने 7 देशों में नियुक्त भारतीय राजदूतों के प्रति निधिमंडल के साथ बैठक कर उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा ने कृषि के साथ–साथ उद्योगों व बिजनेस क्षेत्र में तेजी से तरक्की की है। हरियाणा उद्योगों व बिजनेस के लिए अपार संभावनाओं से भरा प्रदेश है। इसी वजह से निरंतर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से बड़ी–बड़ी कंपनियां यहां पर अपनी औद्योगिक ईकाईयां स्थापित कर रही हैं। इन कंपनियों को बिजनेस के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार भी निरंतर नई–नई स्कीमें बना रही है। आईटी हो या कार निर्माण, हरियाणा ने औद्योगिक क्षेत्र में अलग पहचान कायम की है। भविष्य में यह प्रगति और तेजी से बढ़ेगी।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है लेकिन कृषि के साथ–साथ इस प्रदेश ने उद्योगों व बिजनेस में भी अपनी पहचान बनाई है। आज स्थिति ये है कि

साप्ताहिक सूचना पत्र

विश्वभर से निवेशक हरियाणा पहुंच रहा है। प्रदेश सरकार इसे ध्यान में रखते हुए जमीन उपलब्ध करवा रही है। इसके अतिरिक्त उद्योगों को अलग–अलग सब्सिडी दी जा रही है। जो कंपनियां इन औद्योगिक क्षेत्रों में आकर हरियाणा के युवाओं को रोजगार दे रही है, उन कंपनियों को प्रदेश सरकार 48 हजार रुपये सालाना दे रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सर्विस सेक्टर के लिए भी प्रदेश सरकार योजनाएं बना रही है और इस तरफ भी विदेशी कंपनियां आकर्षित हो। इससे सर्विस सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं। आईटी, हैल्थ, मेडिकल के सर्विस सेक्टर में नई–नई स्कीमें लाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त अलग–अलग उद्योगों की जरुरत व मांग के अनुसार भी नई स्कीमें बना रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हरियाणा की रैंकिंग बेहद अच्छी है। उद्योगों की पहली जरुरत ट्रांसपोर्टेशन की यदि बात करें तो हरियाणा में लगातार एक्सप्रैस–वे बन रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वन ब्लॉक–वन प्रोडक्ट के सिद्धांत पर अलग–अलग स्कीमें बनाई जा रही हैं। इसके तहत प्रदेश सरकार ने पदमा

स्कीम बनाई है। इसमें 40 नए क्लस्टर पर फोकस किया जा रहा है।

प्रदेश में कलस्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से नई–नई इंडस्ट्री स्थापित हो रही हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां भी मिल रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए सडक़ों, सीवरेज, बिजली–पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के कार्यों को टारगेट लेकर पूरा किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक आकर्षित हों। सरकारी अप्रूवल से जुड़े कार्यों को सिंगल विंडो सिस्टम जैसी व्यवस्था से पूरा किया जा रहा है।

बैठक में हरियाणा के एकमात्र महत्वाकांक्षी जिले नूंह से जुड़े विषय पर भी चर्चा हुई। इस प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को इस जिले का दौरा किया था, जिस दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग–अलग योजनाओं का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विदेशों में रोजगार के अवसर तलाशने, दूसरे देशों से रिश्तों को और मजबूत करने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया है। विदेशों में हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए यह विभाग निरंतर कार्य कर रहा है।

छः रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी

(दिनांक 18.10.2022)

प्रभाव : नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दलहन व तिलहन की 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 105 रूपए से लेकर 500 रूपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी करने के निर्णय के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह निर्णय किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की वचनबद्धता की दिशा में एक और कदम है। फसलों की बुआई आरंभ होने से ठीक पहले लिए गए निर्णय से किसानों के पास विकल्प होगा कि उन्हें अपने खेत में कौन सी फसल की बुआई करनी है और किस फसल को बोने से अधिक फायदा हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गेंहू, सरसों, चना व जौं हरियाणा की प्रमुख रबी फसलों में से हैं। उन्होंने कहा कि गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2125 रूपए, सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5050 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5450 रूपए, चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5250 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5335 रूपए तथा जौं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1635 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1735 रूपए प्रति क्विंटल किया गया है। इसी प्रकार मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5500 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6000 रूपए प्रति क्विंटल व कुसुम का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5441 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5650 रूपए प्रति क्विंटल किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कई वर्षों से रबी व खरीफ की दोनों फसलों का बुआई सीज़न आरंभ होने से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के बाद किसानों के पास ये विकल्प होगा कि उन्हें किस फसल की बुआई करने से अधिक मुनाफा हो सकता है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

मंत्रिमंडल की बैठक

(दिनांक 19.10.2022)

प्रभाव : मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये जो निम्न प्रकार से हैं

हरियाणा लोक निर्माण विभाग (जनस्वास्थ्य शाखा) के कनिष्ठ अभियंता (ग्रुप सी) सेवानियम 1986 में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति देना।

अब जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के ग्रुप सी तथा ग्रुप डी के सभी कर्मचारी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत क्रमशरू 5 वर्ष व 7 वर्ष का अनुभव रखने वाले कर्मचारियों पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे।

इसलिए हरियाणा लोक निर्माण विभाग (जनस्वास्थ्य शाखा) के कनिष्ठ अभियंता (ग्रुप सी) सेवानियम 1986 में संशोधन किया गया है।

इससे ग्रुप सी एवं डी कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर एक समान अवसर प्रदान होगा और विभाग में जेई काडर (सिविल और मैकेनिकल) में रिक्तियां भी भरी जा सकेंगी। इसके

अलावा, राज्य के अन्य इंजीनियरिंग विभाग सरकार के निर्णय के अनुसार अपने नियमों में समान परिवर्तन लाएंगे।

पालम विहार को जोड़ने वाली मेट्रो विस्तार परियोजना के लिए अंतिम डीपीआर को मंजूरी प्रदान करना।

बैठक में रेजांगला चौक, गुरुग्राम से सेक्टर 21, द्वारका के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करने के लिए द्वारका मेट्रो रेल कनेक्टिविटी परियोजना की अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दी गई। डीपीआर के अनुसार पालम विहार में रेजंगला चौक और द्वारका सेक्टर 21 स्टेशन को जोड़ने

वाला स्पर या मेट्रो एक्सटेंशन 8.40 किलोमीटर लंबा होगा। बैठक में मंत्रिमण्डल ने राज्य सरकार के हिस्से के साथ 1541 करोड़ रुपये की सकल परियोजना लागत को मंजूरी दी। परियोजनाओं के फ्यिन्वयन हेतु अनुबंध एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रशासनिक सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को नोडल अधिकारी के रूप में मनोनीत करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

यह मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एमआरटीएस) परियोजना गुरुग्राम शहर के अधिकतम हिस्से को दिल्ली और अन्य आसपास के क्षेत्रों से जोड़ेगी। इससे दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की यात्रा करने वाले यात्रियों को भी सुगम परिवहन सुविधा मिलेगी और सेक्टर–21, द्वारका मेट्रो स्टेशन पर चेक–इन सुविधा मिलेगी।

हरियाणा कारागार नियम, 2022 को मंजूरी प्रदान करना।

इन नियमों के तहत बंदियों के अलगाव

के लिए वर्गीकरण, गैंगस्टरों और कट्टर कैदियों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, कैदियों के अधिकार और कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। हरियाणा कारागार नियम, 2022 में जेल के आहार में उचित भोजन, इसकी तैयारी और वितरण प्रबंधन का प्रावधान किया गया है। महिला, वृद्ध और मानसिक रूप से बीमार कैदियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण नियम, 2022 बनाने को स्वीकृति प्रदान करना।

नियम प्राधिकरण के सामान्य और विशेष प्रावधानों को परिभाषित करते हैं, जिसमें समय, स्थान, बैठकों के आयोजन, बैठकों की सूचना, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उपस्थिति, कोरम की स्थिति, बैठक में किए जाने वाले कार्य, प्रश्नों को तय करने की विधि, गैर–सदस्यों की भागीदारी व अवसंरचना विकास योजना आदि की तैयारी शामिल है।

पदमा योजना के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान करना।

इस योजना का लक्ष्य लगभग 4000 एकड़ भूमि पर एमएसएमई के 143 नए क्लस्टर (प्रत्येक ब्लॉक में एक) स्थापित करना है। क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ

उठाकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर केंद्रित विकासात्मक हस्तक्षेपों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए 25,000 से 30,000 करोड़ रुपये तक के निवेश को आकर्षित कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3, 00,000 नए रोजगार के अवसर सृजित करना है।

इसके अलावा, इस योजना का उद्देश्य स्थायी रोजगार और उद्यमिता के अवसरों पर जोर देना है। समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और ब्लॉक स्तर पर एक मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना राज्य के युवाओं को नए उद्यम स्थापित करने के लिए अवसर प्रदान कर सशक्त बनाना है। औपचारिक अर्थव्यवस्था स्थानीय रूप से प्रासंगिक उत्पादों को बढ़ावा देना और राज्य के किसानों को उत्पादकों से प्रोसेसर तक अपने क्षितिज को व्यापक बनाने का अवसर प्रदान करना है।

हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) –2022 नाम से एक अध्यादेश लाने को स्वीकृति।

बैठक में हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में आगे संशोधन के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) –2022 नाम से एक अध्यादेश लाने को स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2004 हरियाणा राज्य द्वारा 14 जुलाई, 2014 की अधिसूचना के माध्यम से राज्य में सिख गुरुद्वारों और गुरुद्वारा संपत्तियों के बेहतर स्वायत्त प्रबंधन और प्रभावी पर्यवेक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।

साप्ताहिक सूचना पत्र

छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव श्री गुरदयाल सिंह बंजार से शिष्टाचार भेंट

(दिनांक 20.10.2022)

प्रभाव : छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव श्री गुरदयाल सिंह बंजारे चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री जी ने श्री बंजारे का स्वागत किया और उनसे शिष्टाचार भेंट की। श्री गुरदयाल सिंह बंजारे जी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1 नवंबर से 3 नवंबर तक मनाए जा रहे छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस बारे मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया तथा इस शुभ अवसर पर सम्मलित होने हेतु अपना निमंत्रण पत्र मुख्यमंत्री जी को दिया।

साप्ताहिक सूचना पत्र

ग्राम संरक्षण योजना की समीक्षा बैठक

(दिनांक 21.10.2022)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्राम संरक्षण योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम संरक्षक योजना के तहत आबंटित कार्यों की मोनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अलग से प्रकोष्ठ बनाया जाए ताकि जिन अधिकारियों द्वारा गांव गोद लिए गये हैं, वे सीधे इस प्रकोष्ठ में अपनी फीडबैक रिपोर्ट भेज सकें और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इसका विश्लेषण किया जा सके ।

उन्होंने अधिकारियों को इस बात के भी निर्देश दिए कि वे शमशानघाटों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, व्यायामशालाओं, स्कूलों व परिवार पहचान पत्र इत्यादि के कार्यों का सप्ताह में अवकाश वाले दिन या कार्यालय से छुट्टी के बाद अवलोकन करें। ग्राम विकास कार्यों की मोनिटरिंग विकास एवं पंचायत विभाग भी करता है।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि गांव में हुई मौतों की सही सूचना गांव के चौकीदार को देनी होगी और सम्बन्धित सभी विभाग संयुक्त रूप से इसका रिकार्ड अपडेट करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम दर्शन व नगर दर्शन पोर्टल से अलग सीएम विंडो की तरह मुख्यमंत्री कार्यालय में यह प्रकोष्ठ कार्य करेगा और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर इसकी निगरानी की जाएगी। आंगनवाड़ी केन्द्रों में 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए। अधिकारी आबंटित गांव में ये कार्य पूर्ण देखरेख के साथ करें और अंकों के आधार पर आकलन रिपोर्ट तैयार कर गांव की रैंकिंग करें।

साप्ताहिक सूचना पत्र

स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक

(दिनांक 22.10.2022)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज यहां हुई स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक में हरियाणा सरकार ने प्रदेश में उन ओद्योगिक इकाईयों को मूल्य संवर्धन कर (वैट) में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है, जो अपनी ऊर्जा की आवश्यकता डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट की बजाय नेचुरल गैस से पूरा करेंगी।

यह योजना एमएसएमई सहित पूरे उद्योगों पर लागू होगी तथा इसकी अधिसूचना तिथि से 2 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। उल्लेखनीय है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट के उपयोग को प्रतिबंधित किया हुआ है। इसी प्रकार, हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक वाहन विनिमार्ता कंपनियों को प्रति वर्ष विभिन्न मदों में 164.66 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने को भी कमेटी ने स्वीकृति प्रदान की। वर्ष 2030 तक हरियाणा राज्य परिवहन उपक्रमों के स्वामित्व वाले बस बेड़े को

शत–प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसों या ईंधन सैल वाहनों या अन्य गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित प्रौद्योगिकियों में बदलने का प्रयास किया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि ईवी नीति का उद्देश्य पर्यावरण को सरंक्षित करना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, हरियाणा को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ईवी क्षेत्र में कौशल विकास सुनिश्चित करना, ईवी वाहनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना और ईवी तकनीक में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है।

साप्ताहिक सूचना पत्र